

न्यायालय – भूमि सुधार उप-समाहर्ता, खूँटी

दा० खा० अपील वाद सं०– 54/2019-20



प्रथम पक्ष

– सुनीता देवी पति प्रवीण कुमार

ग्राम– एच०ई०सी०, कॉलानी, धुर्वा, थाना–धुर्वा, जिला–रांची।

द्वितीय पक्ष

– अंचल अधिकारी, कर्रा।

| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश | की गई कार्रवाई | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|-----------|----------------|-------|-----------|----|----|------|--|
| 17.3.21 | <p>अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।</p> <p>आवेदक ने वर्तमान वाद दा० खा० वाद सं०–198R27/19-20 में अंचल अधिकारी, कर्रा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.07.19 के विरुद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:-</p> <table border="1" data-bbox="347 658 1382 757"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना/थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>प्लॉट नं०</th> <th>रकबा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>लोधमा</td> <td>कर्रा 162</td> <td>50</td> <td>49</td> <td>0.10</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि उन्होंने उक्त भूमि का क्रय भोलानाथ सिंह पिता स्व० रामनाथ सिंह साकिन हाकाजांग, थाना कर्रा, जिला खूँटी से विक्रय पट्टा केवाला सं० 480/463 दिनांक 19.03.2016 से किया है एवं अंचल अधिकारी द्वारा नामांतरण अस्वीकृत किये जाने के पश्चात् अपील दायर किया गया है।</p> <p>अंचल अधिकारी, कर्रा के प्रतिवेदन अनुसार नामांतरण वाद सं० 198 पूर्व में भी अस्वीकृत हो चुकने के कारण नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।</p> <p>अधिवक्ता ने बहस के दौरान बताया कि अंचल अधिकारी, कर्रा के न्यायालय में मौजा लोधमा थाना कर्रा, थाना नं 162, जिला खूँटी में स्थित भूमि जिसका खाता नं० 50 प्लॉट नं० 49 रकबा 0.10 एकड़ अपने नाम पद दाखिल-खारिज करवाने तथा शुद्धि पत्र निर्गत कर पंजी ॥ में दर्ज कर राजस्व रसीद प्राप्त करने के लिये आवेदन दी थी जिसका केश नं० 198R27/19-20 था। लेकिन राजस्व कर्मचारी, उपनिरीक्षक के जांच प्रतिवेदन अनुसार आवेदित भूमि का मामला पूर्व में नामांतरण वाद अस्वीकृत किया गया है यह कहकर नामांतरण अस्वीकृत किया गया है यह कहकर अंचल अधिकारी द्वारा नामांतरण अस्वीकृत कर दिया है। अन्त में विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपील स्वीकार करने का प्रार्थना करते हैं।</p> <p>अधिवक्ता के बहस को सूना एवं दाखिल किये गये कागजातों का एवं अंचल अधिकारी के आदेश अवलोकन किया जो दा० खा० वाद सं० 198R27/19-20 में अस्वीकृति का कारण राजस्व कर्मचारी, उपनिरीक्षक का प्रतिवेदन के आधार पर अस्वीकृत किया गया है। राजस्व कर्मचारी, उपनिरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि यह मामला पूर्व में दा० खा० वाद सं० 198 में अस्वीकृत किया जा चुका है। जिससे स्पष्ट नहीं होता की पूर्व में दा० खा० वाद सं० 198 का वर्ष क्या है। अंचल अधिकारी को दा० खा० की स्थिति स्पष्ट करते हुए आदेश पारित किया जाना चाहिए था</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, कर्रा को Remand करते करते हुए निर्देश दिया जाता है आवेदक से पुनः नये शीरे से आवेदन प्राप्त करते हुए दाखिल-खारिज हेतु न्यायसंगत कार्रवाई की जाय।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p> भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> | मौजा | थाना/थाना नं० | खाता नं० | प्लॉट नं० | रकबा(एकड़ में) | लोधमा | कर्रा 162 | 50 | 49 | 0.10 | |
| मौजा | थाना/थाना नं० | खाता नं० | प्लॉट नं० | रकबा(एकड़ में) | | | | | | | | |
| लोधमा | कर्रा 162 | 50 | 49 | 0.10 | | | | | | | | |